

प्रिय,

श्री साहब सिंह निरंजन,
विशेष कार्यधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समूचाय केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संज्ञानक दिनांक 10 जनवरी, 2000

विषय:- आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, मोरारखेड़ा, सम्पूर्णनगर, लखीमपुर खीरी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कठने का निर्देश हुआ है कि आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मोरारखेड़ा, सम्पूर्ण नगर, लखीमपुर खीरी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतावटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय का प्रबन्ध समाप्त में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक तदर्थ होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्विफिज्ड इन्वार्मिन्ट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निर्वृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/परिभाषाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

- 2- प्रतिबंध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि
- 1।। कर्मों का निर्धारित मानकानुसार व्यवस्था की जाय ।
 - 12। कार्यरत अध्यापकों को वेतन भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार किया जाय ।
 - 13। भूमि/भवन निजी स्वामित्व में हों ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुष्ट या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। साहब सिंह निरंजन ।
विधि कार्यकारी

सू.सं. 5951111/15-7-99, तद्विनिर्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवाचक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माहलीय संपुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी ।
- 4- निरीक्षक जंमल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, आर्कफोर्ड पब्लिक स्कूल, मोरारखेड़ा, तम्पूर्ण नगर, लखीमपुर खीरी ।

आता है,

। साहब सिंह निरंजन ।
विधि कार्यकारी ।